लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1409
28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

1409. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री रमेश अवस्थी:
श्री खगेन मुर्मु:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के संवर्धन और बाजार विकास घटक के अंतर्गत निवेश आकर्षित करने के लिए अब तक आयोजित किए गए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नवीनतम व्यापार संतुलन आंकड़ों के अनुसार घरेलू तकनीकी वस्त्र उद्योग ने निवल व्यापार अधिशेष दर्ज किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2030 तक वैश्विक मानकों के अनुरूप घरेलू तकनीकी वस्त्र बाजार के बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए कोई कार्यनीतिक रूपरेखा तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): वस्त्र मंत्रालय ने देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीएमएम) की शुरुआत की। एनटीटीएम के घटक-2 (प्रोत्साहन और बाजार विकास) के तहत, वस्त्र मंत्रालय द्वारा कुल 47 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन/भाग लिया गया है।

(ख): जी, हां। घरेलू तकनीकी वस्त्र उद्योग ने वित्त वर्ष 25-26 में 3,420.20 करोड़ रुपये का शुद्ध व्यापार अधिशेष दर्ज किया है। इसका विवरण निम्नानुसार है:

पैरामीटर्स	**वित्तीय वर्ष 2025-26** **(करोड़ रुपए में)**
तकनीकी वस्त्र का भारत निर्यात	29,217.60
तकनीकी वस्त्रों का भारत का आयात	25,797.40

तकनीकी वस्त्रों में व्यापार की शेष राशि	3,420.20

स्रोत: डीजीसीआईएस, वाणिज्य मंत्रालय

(ग) और (घ): राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन मूल्य वर्धित तकनीकी वस्त्र उत्पादों के स्वदेशी विकास और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसमें कृषि-वस्त्र, भू-वस्त्र, चिकित्सा वस्त्र, औद्योगिक वस्त्र, सुरक्षात्मक वस्त्र और खेल वस्त्र तकनीक, आदि महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। यह मिशन कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों के अनुप्रयोगों और लाभों के बारे में हितधारकों, उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने का कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त, जहां भी संभव हो, विभिन्न अंतिम उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट अनुप्रयोगों में अनिवार्य रूप से भी तकनीकी वस्त्र की वस्तुओं के उपयोग को अपनाने के लिए सिफारिश की गई है, ताकि निरंतर घरेलू मांग बनी रहे।

वस्त्र के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, जिसमें तकनीकी वस्त्र इसके प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, वस्त्र क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने और प्रतिस्पर्धा हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है। यह योजना मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) और तकनीकी वस्त्र मूल्य श्रृंखला में भारत की संरचनात्मक कमियों को दूर करने और उच्च मूल्य वर्धित खंडों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है, जिससे उत्पादन क्षमता, प्रौद्योगिकी अपनाने और क्षेत्र की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।

एक साथ, इन उपायों से घरेलू तकनीकी वस्त्र उद्योग के विकास को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलने और वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।
